क्रमांक - का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/भर्ती/2024-25/5165 जबलपुर, दिनांक 17/10/2024

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड म सहायक अभियंता (उत्पादन) के पद पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन/ नियम पुस्तिका - 2024-25

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पॉ.ज.कं.लि.), पूववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी है एवं मध्यप्रदेश शासन के पूण स्वामित्व का उपक्रम है तथा प्रदेश म विद्युत उत्पादन के क्षेत्र म कायरत है । म.प्र.पॉ.ज.क.लि. अपने ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों के संचालन-संधारण, नवीन संयंत्रों के निमाण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु सहायक अभियंता (उत्पादन) के पद पर, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है ।

इस नियम पुस्तिका म जब तक अन्यथा उल्लेखित ना किया गया हो, कंपनी अथवा संगठन शब्द का अथ मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पॉ.ज.कं.लि.) है ।

1. विज्ञापित पद, पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी एवं अन्य

संवग	पद नाम	पद कोड	पद का प्रकार	श्रेणीवार पदों की संख्या					योग
				UR	SC	ST	OBC	EWS	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
सहायक अभियंता (उत्पादन)	सहायक अभियंता (उत्पा.) - मैकेनिकल	P01	नियमित	5	2	3	3	0	**13**
	सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रिकल	P02	नियमित	4	2	3	4	2	**15**
	सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रॉनिक्स	P03	नियमित	5	2	3	4	2	**16**
कुल				**14**	**6**	**9**	**11**	**4**	**44**

नोट :-

1. मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, किसी भी समय किसी भी संवग के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढाने एवं घटाने या पूण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों को भरने या ना भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है ।

2. मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, किसी भी समय आंशिक अथवा पूण भर्ती प्रक्रिया को रदद अथवा स्थगित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है । इस हेतु कंपनी कोई भी कारण दिये जाने हेतु बाध्यकारी नहीं होगी ।

3. विज्ञापित पदों के संबंध म विभिन्न श्रेणी एवं वग के आरक्षित पदों की जानकारी इस नियम पुस्तिका के **<u>"परिशिष्ट - दो"</u>** म प्रदान की गई है ।

4. अन्य पिछडा वग (OBC) के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि म परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29/09/2022, क्रमांक एफ 3/1/2/0014/2023-जीएडी-आर.सी.-01(जीएडी) दिनांक 26/06/2023, क्रमांक एफ-07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 09/05/2023 एवं ऊजा विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 23/05/2023, क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 30/06/2023 के अनुसार विज्ञापित पदों के 87% पदों (मुख्य भाग) पर जारी किया जाएगा एवं शेष 13% पदों का परिणाम उपरोक्त याचिकाओं के संदभ म अंतिम निणय के अध्यधीन होगा । विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष भाग (13%) की जानकारी इस नियम पुस्तिका के **<u>"परिशिष्ट - दो"</u>** म प्रदान की गई है ।

2. <u>सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शत:-</u>

विज्ञापित पदों के संबंध म आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक कायानुभव, आयु सीमा, आरक्षण, लागू वेतन, नियम, निदश एवं शत तथा अन्य जानकारी इस नियम पुस्तिका के **<u>"परिशिष्ट - एक"</u>** म प्रदान की गई है ।

3. <u>चयन प्रक्रिया :-</u>

1. आवेदकों का संबंधित पद पर चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) म प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा । कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंको की होगी जिसम प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का बहुविकल्पीय होगा ।

2. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा म प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी । चयनित आवेदकों को संबंधित संवग के श्रेणीवार एवं वगवार विज्ञापित पदों के अनुपात म आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।

3. दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदको का चयन वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। वाक-इन-इंटरव्यू से आशय है कि, यदि आवेदक विज्ञापित पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अहता एवं अनुभव रखता है, तो ऐसे आवेदको का चयन निधारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता म प्राप्तांकों के आधार पर, मेरिट अनुसार, आवेदको के दस्तावेजो के सफल सत्यापन उपरांत, दिव्यांगजन हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही किया जावेगा। दिव्यांगजन आवेदको को सलाह दी जाती है कि वे कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) मे सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया मे भी भाग ले।

4. <u>कम्प्यूटर आधारित परीक्षा:-</u>

1. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, म.प्र. राज्य के शहरों म आयोजित की जावेगी ।

2. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र म विवरण भरते समय दिये गये परीक्षा शहर के विकल्पों म से अपनी इच्छानुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा । आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों म कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदक द्वारा चुने हुये परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर म परीक्षा कद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा । चुने हुये शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

3. परीक्षा शहर एवं कद्र के आवंटन के संबंध म म.प्र.पॉ.ज.क.लि. का निणय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

4. कंपनी परीक्षा शहरों/ कद्रों को आवश्यकता अनुसार जोडने तथा हटाने हेतु अधिकार सुरक्षित रखती है । म.प्र.पॉ.ज.क.लि. किसी भी समय बिना कोई कारण बताये परीक्षा शहरो/ परीक्षा कद्रों को कम अथवा ज्यादा कर सकती है ।

5. आवंटित शहर एवं परीक्षा कद्र की जानकारी आवेदक को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जावेगी ।

6. परीक्षा कद्रों मे इलेक्ट्रानिक उपकरणो यथा मोबाईल फोन, टैबलेट, डिजिटल डायरी, किताबे, इत्यादि का प्रवेश एवं उपयोग पूणत: प्रतिबंधित रहेगा। आवेदक परीक्षा कद्रों म प्रवेश के पूव, ई-प्रवेश पत्र मे दिये गये अनुदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर ल ।

7. मदिरा एवं नशीले पदार्थों का सेवन पूणत: प्रतिबंधित है, ऐसे आवेदको को परीक्षा कद्रो मे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5. आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार

अनारक्षित वग (UR) के आवेदकों हेतु	- रुपये 1200/-
म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/ अन्य पिछडा वग (गैर क्रीमी लेयर) (OBC)/ दिव्यांगजन/ आथिक रूप से कमजोर वग (EWS) के आवेदकों हेतु	- रुपये 600/-

आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति म वापस नहीं किया जावेगा ।

1. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (नेट बकिंग/ डेबिट काड/ क्रेडिट काड/ यू.पी.आई) से ही स्वीकार किया जावेगा । आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन म भुगतान विकल्प प्रदान किये गये ह ।
2. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु बक लन देन शुल्क, यदि लागू हों, का वहन आवेदकों द्वारा ही किया जायेगा ।
3. आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क, जैसा लागू हो, एक बार भुगतान करने के बाद न तो किसी भी परिस्थिति म वापस किया जाएगा और न ही इन्ह किसी अन्य भर्ती या चयन के लिए सुरक्षित किया जावेगा । उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क तथा अन्य शुल्कों का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता नियम पुस्तिका म उल्लेखित शर्तो अनुसार स्वयं सुनिश्चित कर ल ।
4. किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाये । किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने कि स्थिति म, उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूण आवेदन ही योग्य एवं मान्य होगा । अन्य, एक से अधिक आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।

6. आवेदन कैसे करे:-

1. आवेदन केवल आनलाईन माध्यम से, एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (https://www.mponline.gov.in/portal) तथा (https://www.iforms.mponline.gov.in) पर स्वीकार किये जायेगे । अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जायगे ।

2. आनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशानिदश/ जानकारी एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (https://www.mponline.gov.in/portal) तथा (https://www.iforms.mponline.gov.in) के पोटल मे उपलब्ध है ।

3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पूव एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (https://www.mponline.gov.in/portal) तथा (https://www.iforms.mponline.gov.in) के पोटल मे दिये गये अनुदेशो एवं मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाईट म दी गई भर्ती नियम-पुस्तिका का सूक्ष्मता से अध्ययन कर ल ।

4. आवेदक के पास स्वयं का ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है । आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन मे पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर का आगामी एक वष तक क्रियाशील होना आवश्यक है । ऑनलाइन आवेदन म पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर को परिवतित नही किया जा सकेगा । कंपनी द्वारा सभी महत्वपूण पत्राचार आनलाईन आवेदन मे आवेदक द्वारा पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर पर ही किये जायेगे ।

5. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है:-
   i. कक्षा दसवीं (10^{th}) की अंकसूची ।
   ii. म.प्र. स्थायी निवास प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आवेदकों हेतु) ।
   iii. जाति प्रमाण पत्र (म.प्र के मूल निवासी आरक्षित वग के आवेदकों हेतु) ।
   iv. आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आथिक रूप से कमजोर वग के आवेदकों हेतु) ।
   v. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी दिव्यांग आवेदकों हेतु) ।
   vi. परिशिष्ट - एक अनुसार संबंधित पद हेतु निधारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/ प्रमाण पत्र ।
   vii. अनुभव प्रमाण पत्र ।
   viii. आवेदक का नवीन छायाचित्र (Recent Photograph) ।
   ix. आवेदक का हस्ताक्षर ।
   x. आयु सीमा म छूट के संबंध मे आवश्यक दस्तावेज् ।

6. ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायता के लिये आवेदन पोटल मे दिये गये "हेल्प डेस्क" टैब के माध्यम से संपक किया जा सकता है अथवा हेल्प लाईन नम्बर - +91-755-6720200 पर संपक किया जा सकता है ।

7. <u>महत्वपूण तिथियॉ:-</u>

विवरण	दिनांक (सम्भावित)
ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	22/10/2024 (10:30Hrs)
ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	20/11/2024 (23:59Hrs)

उपरोक्त तिथियाँ कंपनी की आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवतित की जा सकती ह ।

ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन की तिथियाँ नोटिस के माध्यम से म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की वेबसाईट म पृथक से सूचित की जावगी । आवेदक परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (https://www.mponline.gov.in/portal) तथा (https://www.iforms.mponline.gov.in) पर उपलब्ध आवेदन पोटल के माध्यम से डाउनलोड कर सकग । आवेदकों को ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने मे कोई कठिनाई अथवा परेशानी उत्पन्न होने पर हेल्प लाईन नम्बर-+91-755-6720200 पर संपक कर सकते ह ।

8. <u>महत्वपूण</u>

1. कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र/ जानकारी केवल मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.mppgcl.mp.gov.in) एवं एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (https://www.mponline.gov.in/portal) तथा (https://www.iforms.mponline.gov.in) पर प्रकाशित की जायेगी ।

2. यह उम्मीदवारों के हित म है कि वे म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.mppgcl.mp.gov.in) एवं एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (https://www.mponline.gov.in/portal) तथा (https://www.iforms.mponline.gov.in) का नियमित रूप से अवलोकन करते रह और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र/ अपडेट/ नोटिस (यदि कोई हो) को नोट कर ल। यदि कोई उम्मीदवार नवीनतम अपडेट नोट करने म विफल रहता है तो इस संबंध म म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । इस संबंध म किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा ।

3. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र हर दृष्टि से सही भरना चाहिए और कोई भी जानकारी छिपाना नहीं चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति बिना किसी पूव सूचना के रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कायवाही भी की जा सकती है।

4. आवेदक को परीक्षा कद्र पर अपने एक फोटो युक्त मूल परिचय पत्र के साथ ई-प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है । किसी भी उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र और फोटो युक्त मूल परिचय पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र/ आधार काड/ ड्राइविंग लाइसस/ पैन काड/ पासपोट के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी । उम्मीदवार की पहचान का मिलान फोटो युक्त परिचय पत्र से किया जाएगा । इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा कद्र म अपने नवीनतम रंगीन पासपोट आकार के 02 फोटोग्राफ लाना आवश्यक है ।

5. आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन आवेदन पोटल म दिये गये विस्तृत दिशा निदशों का अवलोकन कर ।

6. उम्मीदवारों को उनके हित म, सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निधारित अंतिम तिथि और समय तक प्रतीक्षा न कर और अंतिम तिथि से पहले ही अपना आवेदन पंजीकृत कर जमा कर दवे । यदि उम्मीदवार अंतिम तिथि एवं समय पर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते ह तो म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(डी.के. कश्यप)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर

परिशिष्ट-एक

सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शत

1. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं कायानुभव

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता
सहायक अभियंता (उत्पा.) - (मैकेनिकल)	P01	ए.आई.सी.टी.ई/ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग म नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीण ।
सहायक अभियंता (उत्पा.) - (इलेक्ट्रिकल)	P02	ए.आई.सी.टी.ई/ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग म नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीण ।
सहायक अभियंता (उत्पा.) - (इलेक्ट्रॉनिक्स)	P03	ए.आई.सी.टी.ई/ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन/ इंस्ट्रुमटेशन/ इंस्ट्रुमटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग म नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीण ।

अनिवाय कायानुभव

उपरोक्त वणित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ कद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमे कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं) म ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव मे निम्न अनुभव होना अनिवाय है :-

1. सहायक अभियंता/ यंत्री के समतुल्य अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वष का कायानुभव अथवा,

2. कनिष्ठ अभियंता/ यंत्री संवग पर न्यूनतम 9 वष का कायानुभव ।

उपरोक्त हेतु आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवाय है । आवेदक की उम्मीदवारी उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के अध्याधीन होगी ।

2. आयु सीमा

आयु सीमा (दिनांक 01/01/2024 की स्थिति म)	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
	21 वष	40 वष

उपरोक्त आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र क्र. सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04/07/2019 के अनुसार है ।

3. आयु सीमा म छूट तथा आवश्यक निदश

1. अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार की जावेगी जो हाई स्कूल/ हायर सेकडरी अथवा मेट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण पत्र म स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो ।
2. कायानुभव के दृष्टिगत समस्त श्रेणी के आवेदकों को निधारित अधिकतम आयु सीमा म 05 वष तक की छूट देय होगी । सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति म किसी भी प्रवग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वष से अधिक नहीं होगी ।
3. अन्य पिछड़ा वग के संबंध म लागू आयु सीमा म छूट केवल म.प्र. के मूल निवासी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार पर ही लागू होगी । क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को अनारक्षित वग माना जावेगा ।
4. विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के ज्ञापन क्र सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03/09/1985 के संदभ म अधिकतम आयु सीमा म 05 वष की छूट दी जावेगी ।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वग कल्याण विभाग की अंतजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के ज्ञापन क्र सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदभ म अधिकतम आयु सीमा म 05 वष की छूट दी जावेगी ।
6. याचिका क्रमांक 2108/2022 म माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/02/2022 के परिपालन म आथिक रूप से कमजोर वग के अभ्यथियों को अधिकतम आयु सीमा म छूट अन्य आरक्षित वग के अभ्यथियों यथा अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वग इत्यादि के समान देय होगी । यद्यपि अधिकतम आयु सीमा म देय यह छूट, उक्त याचिका के संदभ म माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निणय के अध्यधीन होगी ।
7. ऐसे उम्मीदवार, जो भूतपूव सैनिक हो, अपनी आयु सीमा म से उनके द्वारा पूव म की गयी सम्पूण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशत कि इसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वष से अधिक न हो ।
8. म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वग/ आथिक रूप से कमजोर वग/ दिव्यांगजन/ महिला (अनारक्षित / आरक्षित) तथा शासकीय/ निगम/ मण्डल/

स्वशासी संस्थानों के कमचारी/ नगर सैनिक/ आदि श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा म पांच (5) वष की छूट प्रदान की जावेगी ।

9. म.प्र. के शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कमचारी/ नगर सैनिकों आदि को प्रदाय आयु सीमा म छूट केवल ऐसे उम्मीदवारों को देय होगी जो आवेदन पत्र भरने के पूव से दस्तावेज सत्यापन के समय शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था/ नगर सेना आदि म निरंतर सेवारत हों ।
10. सभी आरक्षण और आयु सीमा म छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वग, आथिक रूप से कमजोर वग, दिव्यांगजन, भूतपूव सैनिक एवं महिला अभ्यथियों इत्यादि को आरक्षण एवं आयु सीमा म छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होगी अथात आयु सीमा म छूट का लाभ लेने हेतु म.प्र. का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवाय है । अन्य राज्यों के उपरोक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अनारक्षित माना जाएगा। (सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/एपी/ए, दिनांक 06/08/2012 के प्रावधानों के अनुसार)।
11. उपरोक्त वणित आयु सीमा के संदभ म छूट केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर ही लागू होगी ।
12. जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं है, उन्ह आयु सीमा म छूट देय नहीं होगी किंतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क म छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी ।
13. यदि कोई आवेदक निधारित अधिकतम आयु सीमा म छूट के लाभ के लिए एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए निधारित अधिकतम आयु सीमा म ही छूट का लाभ प्राप्त होगा ।
14. सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति म किसी भी प्रवग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वष से अधिक नहीं होगी ।
15. ऐसे उम्मीदवार जो कि पूववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत की उत्तरवर्ती कंपनियों म नियमित रूप से कायरत ह, को विभागीय उम्मीदवार के आधार पर अधिकतम आयु सीमा म पूणतः (सेवानिवृत्ति की आयु तक) छूट प्रदान की जाती है ।

4. <u>आरक्षण</u>

1. आरक्षण हेतु म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 म निहित नियमों एवं उक्त नियम म लागू संशोधनों का पालन किया जावेगा । विज्ञापित पदों पर, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक 07-53/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04/01/2020 के साथ संलग्न म.प्र राजपत्र म प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 530 दिनांक 24/12/2019 के द्वारा लागू सीधी भर्ती रोस्टर अनुसार किये गये ह ।

2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग उम्मीदवारों (जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक है) हेतु क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी असाधारण राजपत्र क्रमांक 288 दिनांक 31/05/2022 के अनुसार लागू होंगे ।
3. मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17/11/2015 के अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अंतगत महिलाओं को 33% प्रतिशत आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार (हॉरिजॉन्टल एवं कम्पाटमट वाइज) प्रदान किया जावेगा । महिलाओं हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध योग्य महिला उम्मीदवार ना मिलने की स्थिति म इन पदों को कैरी फॉरवड नहीं किया जावेगा अपितु उसी श्रेणी के उपलब्ध योग्य पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जावेगा ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-47/2016/आ.प्र./एक दिनांक 01/01/2018 के अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "मांझी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11/11/2005 के पूव शासकीय सेवाओं म नियोजन कर लिया है, उन्ह संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात उन्ह अनुसूचित जनजाति के अंतगत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वग (केवल गैर क्रीमीलेयर), आथिक रूप से कमजोर वग, महिला अभ्यथियों एवं दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र धारकों पर ही लागू होगा ।
6. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र/ परिपत्र क्र. एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 02/07/2019, क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 18/07/2019 एवं क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 22/11/2019 अनुसार आथिक रूप से कमजोर वग हेतु नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान रहेगा ।
7. म.प्र. राज्य के अलावा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वग/ आथिक रूप से कमजोर वग/ दिव्यांगजन/ महिला आवेदक अनारक्षित श्रेणी अंतगत ही मान्य किये जायगे ।

विज्ञापित पदों हेतु परीक्षा परिणाम (लिखित परीक्षा) घोषित किये जाने के पूव सीधी भर्ती के संदभ म आरक्षण नियमों म कोई भी संशोधन किये जाने की स्थिति म, संशोधित नियमों का पालन किया जावेगा एवं तदानुसार ही परीक्षा परिणाम को घोषित किया जावेगा ।

5. **सामान्य शत, निदश एवं सूचना**

1. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये ।
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन के पूव भर्ती नियम एवं शर्तों का विस्तृत एवं सूक्ष्मता से अध्ययन करना सुनिश्चित कर लेव ।
3. आवेदक, आवेदित किये जाने वाले पद हेतु विज्ञापन/ नियम पुस्तिका मे विहित प्रावधानानुसार अपनी अहता एवं अन्य नियमो का सूक्ष्मता से अध्ययन करना सुनिश्चित कर लेव ।
4. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन मे पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर का आगामी एक वष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन मे ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर का पंजीयन किये जाने के उपरांत परिवतन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। कंपनी द्वारा सभी महत्वपूण पत्राचार ऑनलाइन आवेदन मे आवेदक द्वारा पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर पर ही किये जायेगे ।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान ह, जिनम से एक का जन्म 26/01/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा । परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26/01/2001 को या उसके पश्चात हो, जिसम दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा ।
6. अन्य पिछड़ा वग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी (तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का) द्वारा जारी मान्य आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवाय होगा ।
7. आथिक रूप से कमजोर वग से संबंधित अभ्यथियों को म.प्र. शासन के तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति का मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवाय होगा ।
8. उक्त विज्ञापित पदों हेतु जातिगत आरक्षण का लाभ केवल ऐसे अभ्यथियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो । इस हेतु उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने पर मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति, मध्य प्रदेश के मूल/ स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ स्वप्रमाणित कर जमा करना होगा ।
9. दिव्यांगजन अभ्यथियों को जिला मेडिकल बोड/ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवाय होगा।
10. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के लिए निधारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह किया है, वे म.प्र. शासन के असाधारण राजपत्र द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10/03/2000 के अनुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं ह ।
11. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक सी 3-17-96-2-1 भोपाल दिनांक 25/10/1996 म निहित प्रावधानानुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे महिलाओं के खिलाफ अपराध हेतु दोषी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

12. मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या म परिवतन किया जा सकता है ।

13. एक उम्मीदवार एक ही पद के लिये आवेदन कर सकता है । उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा ।

14. आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अहताये एवं आवश्यक कायानुभग, विज्ञापन जारी होने की तिथि को अनिवाय रूप से पूण होनी चाहिये । विज्ञापन जारी होने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अहताय अजित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये पात्रता नही होगी ।

15. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/ अधशासकीय/ सावजनिक उपक्रम/ पूववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों म कायरत ह एवं वे विज्ञापित पदों म से जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते ह उस पद हेतु विहित की गयी न्यूनतम अहता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूण करते हों, उन्ह दस्तावेज सत्यापन के दौरान वतमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवाय होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वग (केवल गैर क्रीमीलेयर), आथिक रूप से कमजोर वग, दिव्यांगजन, महिला आवेदक, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते ह, उन्ह म.प्र. शासन के वतमान प्रचलित नियमों के अनुसार निधारित प्रारूप म सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ म.प्र. का मूल निवासी/ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवाय होगा । यदि अभ्यर्थी ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मे असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी या चयन का दावा रद्द हो जाएगा । ऐसे उम्मीदवारी एवं चयन का दावा रद्द होने का दायित्व सिफ अभ्यर्थी का होगा ।

17. उम्मीदवारों को पूण रूप से स्वस्थ होना अनिवाय है एवं म.प्र. राज्य के संभागीय मेडीकल बोड द्वारा जारी चिकित्सा स्वास्थयता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवाय होगा । साथ ही दिव्यांगजन श्रेणी- श्रवण बाधित के अंतगत चयनित मूक बधिर अभ्यर्थी को म.प्र. राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय से बेरा-टेस्ट संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवाय होगा ।

18. दिव्यांगजनों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन म वणित उनके लिये आरक्षित पदों पर ही विचार किया जावेगा । दिव्यांगजन उम्मीदवारों को देय छूट/ लाभ की पात्रता हेतु दिव्यांगता का माप न्यूनतम 40 प्रतिशत होना अनिवाय है ।

19. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, म.प्र के परिपत्र क्र. दि.सा/302/2021/1098 दिनांक 06/05/2021 म उल्लेखानुसार दिनांक 01/06/2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यू.डी.आई.डी पोटल के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंग, उक्त तिथि के बाद मैनुअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा ।

20. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति उनकी दिव्यांगता के संतोषजनक सत्यापन के अध्यधीन होगी । उक्त सत्यापन उपरांत ही चयनित पद पर नियुक्ति की पात्रता होगी ।
21. अभ्यथियों को विज्ञापन के अनुसार निधारित अहता के समथन म दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति म आवेदक की उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
22. भर्ती प्रक्रिया/ नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर म ही मान्य होगा । चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद म कंपनी द्वारा लिया गया निणय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
23. वित्त विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ-4-4/2013/नियम/4 दिनांक 13/09/2013 के अनुसार म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वग (केवल गैर क्रीमी लेयर), दिव्यांगजन अभ्यर्थी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने पर नियमानुसार उनके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी का एक तरफ का द्वितीय श्रेणी का रेल या वास्तविक बस किराया, टिकट प्रस्तुत करने पर, प्रतिपूति की जावेगी । वित्त विभाग, म.प्र शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार/भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के अनुसार परीक्षा के लिये आने वाले परीक्षाथियों को यात्रा व्यय का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से आवेदक के बक खाते मे ही किया जाएगा । इस हेतु अभ्यथियों को इस नियम पुस्तिका के साथ संलग्न **<u>प्रोफॉमा-1</u>** म यात्रा एवं अन्य विवरण भरकर, यात्रा टिकिट, जाति/ दिव्यांगता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा कद्र म ही जमा करना अनिवाय होगा ।
24. विज्ञापित पद हेतु आवेदन करने के पूव उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ल कि वे विज्ञापित पदों म से आवेदन किये जाने वाले पद हेतु समस्त निधारित अहताएं एवं आवश्यक कायानुभव पूण करते हों । दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने मात्र के आधार पर उम्मीदवार द्वारा चयन या नियुक्ति के संबंध म किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।
25. आवेदक द्वारा जमा/ प्रस्तुत किये गए किसी भी दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र, अंकसूची, डिग्री, डिप्लोमा, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि कोई भी जानकारी/ दस्तावेज गलत पाई जाती है, तो चयन/ नियुक्ति के किसी भी स्तर पर या उसके पश्चात उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी तथा नियमानुसार कायवाही की जावेगी ।
26. अभ्यथियों की नियुक्ति नियमानुसार चरित्र और पूववृत्त सत्यापन के संतोषजनक सत्यापन रिपोट के अध्यधीन होगी । प्रतिकूल रिपोट प्राप्त होने पर नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकेगी । संतोषजनक सत्यापन तक नियुक्ति प्रावधिक (Provisional) रहेगी । रिपोटिग के समय अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवाय होगा ।

27.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वग (गैर क्रीमी लेयर), आथिक रूप से कमजोर वग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति, उनके चरित्र एवं पूववृत्त सत्यापन के अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी द्वारा उनसे संबंधित जाति/ वग का सत्यापन किये जाने के अध्यधीन होगी। यदि यह पाया जाता है कि उनसे संबंधित जाति/ वग म.प्र राज्य की अनुसूची के अंतगत निदिष्ट नहीं है अथवा उनके द्वारा जमा किया गया जाति/ वग संबंधी प्रमाण पत्र असत्य /फर्जी है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, एवं झूठी जानकारी देने हेतु उनके विरुद्ध उचित कायवाही की जावेगी ।

28.अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जमा करने उपरांत जन्म तिथि एवं जाति/ वग के संबंध म सुधार अथवा परिवतन करने हेतु किये गये अनुरोध पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा । आवेदक द्वारा आवेदन भरते समय सही एवं स्पष्ट जानकारी भरने एवं उसकी पुष्टि करने उपरांत ही आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करना चाहिये ।

6. <u>चयन प्रक्रिया :-</u>

1. ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेगे।
2. आवेदको का संबंधित पद पर चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) म प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा ।
3. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा म.प्र. राज्य के शहरों म आयोजित की जायेगी जिसकी जानकारी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन म दी गई है।
4. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी जिसम प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का बहुविकल्पीय होगा । परीक्षा म 75 प्रश्न ताप विद्युत गृह से संबंधित व्यवहारिक काय पर आधारित होंगे एवं शेष 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ताकिक योग्यता इत्यादि से संबंधित होंगे । परीक्षा की अवधि 02 घंटे होगी । परीक्षा म अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा । कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी अथात अंग्रेजी एवं हिंदी दोनो भाषाओं म होगा।
5. उपरोक्त ताप विद्युत गृह से संबंधित व्यवहारिक काय पर आधारित 75 प्रश्नों म ताप विद्युत् उत्पादन से संबंधित सभी क्षेत्रों जैसे बायलर, टबाइन, कोल हैडलिग, ऐश हैडलिंग के संचालन, रखरखाव संबंधी विद्युत, यांत्रिकी, सी एण्ड आई, आदि पहलुओं को शामिल किया जावेगा ।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा म प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी । चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वगवार विज्ञापित पदों के अनुपात म आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा । दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की वेबसाईट (https://mppgcl.mp.gov.in) के माध्यम से तत्समय पृथक से सूचित की जायेगी ।

7. आवेदक का संबंधित संवग म अंतिम चयन इस शत के अधीन होगा कि आवेदक चयन एवं नियुक्ति हेतु सभी निधारित योग्यता एवं मापदण्ड को पूण करता है तथा आवेदक ने सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत एवं जमा कर दिये ह ।
8. यदि किसी/ सभी संवग हेतु अत्यधिक संख्या म आवेदन प्राप्त होते ह तो कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, उपलब्धता एवं म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की आवश्यकता अनुसार एक से अधिक पालियों एवं तिथियों म आयोजित की जावेगी । ऐसी स्थिति म प्राप्तांको का नॉमलाईजेशन कर प्रावीण्य/ मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
9. मेरिट/ प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते ह, तो उनकी प्रावीण्यता/ मेरिट का निधारण निम्नानुसार किया जावेगा:-
    i. उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अथात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा ।
    ii. जन्मतिथि समान होने की स्थिति म ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने उक्त पद हेतु आयोजित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के संबंधित व्यवहारिक काय पर आधारित भाग (75 प्रश्न) म अधिक अंक प्राप्त किये हों ।
    iii. ऐसी स्थिति म जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा दसवीं म अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी ।

10. अनारक्षित वग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा म न्यूनतम 50% कट ऑफ अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आथिक रूप से कमजोर वग, अन्य पिछड़ा वग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु न्यूनतम 40% कट ऑफ अंक प्राप्त करना अनिवाय होगा । ऑनलाइन परीक्षा म उपस्थित उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची उनके द्वारा प्राप्त अंकों अथवा नॉमलाईजड अंक (यदि लागू हो) के आधार पर श्रेणीवार तैयार की जावेगी।
11. दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदको का चयन वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। वाक-इन-इंटरव्यू से आशय है कि, यदि आवेदक विज्ञापित पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अहता एवं अनुभव रखता रखता है, तो ऐसे आवेदको का चयन निधारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता म प्राप्तांकों के आधार पर, मेरिट अनुसार, आवेदको के दस्तावेजो के सफल सत्यापन उपरांत, दिव्यांगजन हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही किया जावेगा। दिव्यांगजन आवेदको को सलाह दी जाती है कि वे कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) मे सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया मे भी भाग ले ।

12. मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा चयन हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा म निधारित न्यूनतम अंकों तक पैनल संचालित किया जायेगा । चयन पैनल लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वष तक मान्य रहेगा । भर्ती प्रक्रिया को विशिष्ट आदेश जारी कर एक वष के पूव भी समाप्त किया जा सकता है । भर्ती प्रक्रिया पूण होने

संबंधी विशिष्ट आदेश जारी करने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा ।

13. प्रावीण्य सूची तैयार करते समय आरक्षित श्रेणी (अथात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वग एवं आथिक रूप से कमजोर वग) का कोई अभ्यर्थी यदि बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अह पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची म रखा जायेगा एवं अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जावेगा ।

14. विज्ञापित पदों पर चयन हेतु निधारित पात्रता एवं शर्तों के संबंध म म.प्र.पॉ.ज.क.लि. का निणय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । इस संबंध म किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा ।

7. चयन एवं नियुक्तिः-

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा म प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी । चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वगवार विज्ञापित पदों के अनुपात म आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा । दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सफल/ योग्य आवेदको को संबंधित संवग/ पद मे प्रशिक्षु के रूप मे नियुक्त किया जावेगा।

8. प्रशिक्षण

पदवार प्रशिक्षण की अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर, यदि कोई हो) नीचे दी गई तालिका अनुसार होगी । प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जिस संवग म प्रशिक्षु का चयन किया गया है, उसके वेतन मैट्रिक्स के न्युनतम के बराबर समेकित स्टाईपड दिया जाएगा । प्रशिक्षण अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि सहित) को वाषिक वेतन वृद्धि (Increment) हेतु गणना म जोडा नहीं जायेगा ।

क्र.	पद नाम	प्रशिक्षण अवधि
1	सहायक अभियंता (उत्पा.) - (मैकेनिकल)	01 वष
2	सहायक अभियंता (उत्पा.) - (इलेक्ट्रिकल)	01 वष
3	सहायक अभियंता (उत्पा.) - (इलेक्ट्रॉनिक्स)	01 वष

9. <u>वेतन एवं अन्य भत्ते</u>

पद नाम	पद कोड	वेतनमान (लागू वेतन मेट्रिक्स अनुसार)		
		वेतनमान	वेतनमान का न्युनतम	लेवल
सहायक अभियंता (उत्पा.) - (मैकेनिकल)	P01	56100-177500	56100/-	12
सहायक अभियंता (उत्पा.) - (इलेक्ट्रिकल)	P02	56100-177500	56100/-	12
सहायक अभियंता (उत्पा.) - (इलेक्ट्रॉनिक्स)	P03	56100-177500	56100/-	12

<u>सफल प्रशिक्षण उपरांत सेवा म शामिल होने पर, चयनित सहायक अभियंताओं को कायानुभव के एवज म व्यक्तिगत वेतन के रूप म 2 वेतन वृद्धि देय होगी, अन्य सेवा नियम एवं शत यथा वरिष्ठता इत्यादि का निधारण म.प्र.पॉ.ज.क.लि. म प्रचलित नियमानुसार होगा ।</u>

10. <u>अंशदायी पशन योजना:-</u>

सफल प्रशिक्षण उपरांत संबंधित पद पर नियुक्ति होने पर अंशदायी पशन योजना की पात्रता होगी ।

11. <u>परिवीक्षा अवधि:-</u>

प्रशिक्षण अवधि सफलतापूवक पूण करने के उपरांत प्रशिक्षुओं को नियमित पद म 02 वष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।

परिवीक्षा अवधि के दौरान कामिक के कायदक्षता की समीक्षा की जाएगी एवं यदि अधिकारी अपेक्षित प्रदशन करने म विफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा अवधि को एक और वष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा । विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि कामिक पुनः अपेक्षित प्रदशन नहीं करता है, तो नियमानुसार उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी ।

12. <u>सेवा अनुबंध सह प्रतिभू बॉण्ड:-</u>

चयनित अभ्यथियो को निधारित प्रशिक्षण अवधि (विस्तारित अवधि सहित) सफलतापूवक पूण करने एवं तत्पश्चात 03 वष की कंपनी मे सेवा हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभू बॉण्ड निष्पादित करना होगा । सेवा अनुबंध अनुसार अभ्यर्थी द्वारा निधारित सेवा अवधि पूण न करने के एवज म निम्नानुसार बॉण्ड राशि म.प्र.पॉ.ज.क.लि. को देय होगी:-

सेवा अनुबंध की अवधि - चयनित अभ्यर्थी को रुपये 500/- मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निधारित प्रारूप अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूवक पूण करने एवं तत्पश्चात तीन (03) वष की सेवा अवधि हेतु वैध बॉड जमा करना होगा।

बॉण्ड की राशि - सेवा अनुबंध की अवधि पूण करने के पूव अभ्यर्थी द्वारा कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देने अथवा पृथक होने की स्थिति म अनारक्षित श्रेणी के अभ्यथियों द्वारा निधारित राशि रुपये 2,00,000/- (रुपये 02 लाख) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वग, आथिक रूप से कमजोर वग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा निधारित राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये 01 लाख) देय होगी ।

बॉण्ड हस्तांतरण - अभ्यथियों के पूववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों म समान पद अथवा उच्च पद पर चयन की स्थिति म बॉण्ड अन्य उत्तरवर्ती कंपनी, जिसम अभ्यर्थी का चयन हुआ है, को सेवा अनुबंध की निधारित शेष अवधि हेतु समान शर्तों पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को लागू नोटिस अवधि से भी नियमानुसार छूट देय होगी ।

13. क्षेत्राधिकार:-

भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति, सेवा, आदि संबंधित विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्र कंपनी मुख्यालय जबलपुर होगा ।

14. महत्वपूण:-

भर्ती संबंधी समस्त आवश्यक निदश/ सूचनाये/ आदेश केवल म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की आधिकारिक वेबसाईट (https://mppgcl.mp.gov.in) अथवा एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (https://www.mponline.gov.in/portal तथा https://www.iforms.mponline.gov.in) पर ही प्रकाशित किये जायेग, अतः आवेदक नियमित रूप से म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की आधिकारिक वेबसाईट एवं एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट का अवलोकन कर । महत्वपूण सूचनाओं एवं निदशों के अवलोकन न करने की स्थिति म आवेदक द्वारा किये गये किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं इस संबंध म म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।

(डी.के. कश्यप)
मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.ज.क.लि., जबलपुर

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%

क्रमांक	पद नाम	पद कोड	श्रेणीवार पदों		
			UR	SC	ST
1	सहायक अभियंता (उत्पा.) - मैकेनिकल	P01	5	2	3
2	सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रिकल	P02	4	2	3
3	सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रॉनिक्स	P03	5	2	3
योग			14	6	9

क्रमांक - का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/भर्ती/2024-25/5165 जबलपुर, दिनांक 17/10/2024

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%)

पद नाम : सहायक अभियंता (उत्पा.) - मैकेनिकल (नियमित)

कुल विज्ञापित पद - 13

मुख्य भाग (87%) - 12

शेष भाग (13%) - 01

क्र	श्रेणी	मूख्या भाग (87%)		शेष भाग (13%)	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला
1	अनारक्षित (UR)	4	1	0	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	1	0	0
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	1	0	0
4	अन्य पिछडा वग (OBC)	1	1	1	0
5	आथिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0
योग		**8**	**4**	**1**	**0**

विज्ञापित पदों म दिव्यांगजन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पद -

विवरण	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (VI)	श्रवण बाधित, बहरे और कम सुनने वाले (HI)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसम सम्मलित है, सेलेब्रल पाल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (LD)	औटिज्म दिव्यांगता, स्पे डिसेबिलिटी बीमारी और (N
आरक्षित पद	1	0	0	

क्रमांक - का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/भर्ती/2024-25/5165 जबलपुर, दिनांक 17/10/2024

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%

पद नाम : सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रिकल (नियमित)

कुल विज्ञापित पद - 15

मुख्य भाग (87%) - 13

शेष भाग (13%) - 02

क्र	श्रेणी	मूख्या भाग (87%)		शेष भाग (13%)	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला
1	अनारक्षित (UR)	2	2	0	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	2	0	0	0
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	1	0	0
4	अन्य पिछड़ा वग (OBC)	1	1	2	0
5	आथिक रूप से कमजोर (EWS)	2	0	0	0
योग		**9**	**4**	**2**	**0**

विज्ञापित पदों म दिव्यांगजन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पद -

विवरण	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (VI)	श्रवण बाधित, बहरे और कम सुनने वाले (HI)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसम सम्मलित है, सेलेब्रल पाल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (LD)	औटिज्म दिव्यांगता, स्पे डिसेबिलिटी बीमारी और (M
आरक्षित पद	1	0	0	

क्रमांक - का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/भर्ती/2024-25/5165 जबलपुर, दिनांक 17/10/2024

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%)

पद नाम : सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रॉनिक्स (नियमित)

कुल विज्ञापित पद - **16**

मुख्य भाग (87%) - **14**

शेष भाग (13%) - **02**

क्र	श्रेणी	मूख्या भाग (87%)		शेष भाग (13%)	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला
1	अनारक्षित (UR)	4	1	0	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	1	0	0
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	1	0	0
4	अन्य पिछडा वग (OBC)	1	1	2	0
5	आथिक रूप से कमजोर (EWS)	1	1	0	0
योग		**9**	**5**	**2**	**0**

विज्ञापित पदों म दिव्यांगजन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पद -

विवरण	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (VI)	श्रवण बाधित, बहरे और कम सुनने वाले (HI)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसम सम्मलित है, सेलेब्रल पाल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (LD)	औटिज्म दिव्यांगता, स्पे डिसेबिलिटी बीमारी और (M
आरक्षित पद	0	1	1	

क्रमांक - का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/भर्ती/2024-25/5165 जबलपुर, दिनांक 17/10/2024

M. P. Power Generating Co. Ltd., Jabalpur

Travel Fare Reimbursement Form

[For SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/PWD Candidates only]

All SC/ ST/OBC (Non Creamy)/ Specially Abled (PwD) category candidates having MP Domicile shall be reimbursed one side (to or fro) Rail/ Bus fare for appearing in the written examination, up to the extent of II-Class Ordinary Sleeper charges by the shortest route, on actual basis and as per rules, limited to the distance of the test center from the address for communication mentioned in their applications or from where they have actually performed the journey, whichever is minimum, on submission of original ticket & self-attested copy of respective caste certificate and Domicile Certificate.

The Travel reimbursement amount shall be deposited in the bank account as provided by the candidate in the Online Application form.

Name of the candidate____,

Application No. ____________________________ **Post Code.** _________________________

Post Applied-____________________________________**Date of Examination**_____________

Name of Test Centre and city ____

Departure Station/ City	Arrival Station/ City	Distance in Km	Amount of II Class Rail/ Bus fare (Rs.)	Total amount (Rs.)

Declaration

I hereby declare that, I belong to SC/ ST/OBC (Non Creamy)/ Specially Abled (PwD) category candidates having MP Domicile. the amount claimed is for the shortest route and as correct as possible to the best of my knowledge. The document supporting the claim are enclosed herewith with this form failing which I authorize the company to reject my claim on reimbursement of Travel fare.

Signature of the candidate : ________________________

Name of the candidate : ________________________

Father's / Husband's Name : ________________________

Address : ________________________

____

For Office Use Only

Admitted for payment of Rs._________, in words Rupees ________________________________

Authorized Signatory of MPPGCL